

स्थापलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - शालिया)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 334/25 दायर दिनांक 27.9.2025 निर्णय दिनांक 29.09.2025

रिपोर्ट

क्र.सं..	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	शालिया	209	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसालीदर कपासन की अनुशंशा स्वीकार की जाकर कपासन आदेश
			स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	तहसालीदर कपासन की अनुशंशा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में ग्राम शालिया प.ह. शालिया में खतासं. 209 में वर्तमान प्रविष्टी स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			हस्ताक्षर प्रविष्टी ग-इशाधाम	हस्ताक्षर गिरदावर E. R. Anwar	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

- पटवारी पटवार मण्डल शालिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला - चितौडगढ

तहसालीदर (प्र.अ.) कपासन  
तहसीलदार (प्र.अ.) कपासन